संख्या-3278/x-2-2006-19(13)/2006

प्रेषक,

किशन नाथ
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 03 जुलाई, 2006

विषयः- वन क्षेत्रों से लैन्टाना उन्मूलन के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक क-3288/13-2(1), दिनांक 05 जून, 2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें.

2. मै0 सुन्दल एग्रोटेक, देहरादून द्वारा वन क्षेत्रों में उगने वाली लैन्टाना को निकालने व उससे चारकोल बनाये जाने की अनुमति चाही गयी है. यह भी अवगत कराया गया है कि लैन्टाना को चारकोल में परिवर्तित करने के लिए उक्त फर्म द्वारा छोटी-छोटी (Portable) भट्टियों का उपयोग किया जायेगा जो ट्रैक्टर ट्राली द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जा सकती है. उक्त फर्म के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, राज्य के वन क्षेत्रों में लैन्टाना के प्रसार की विकट समस्या को दृष्टिगत रखते हुए लैन्टाना उन्मूलन व निकासी के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किये जाते हैं :-

1. लैन्टाना को चारकोल बनाये जाने अथवा अन्य किसी उपयोग हेतु निकालने के सम्बन्ध में आवेदन करने वाली फर्म द्वारा इस कार्य हेतु उपयोग की जाने वाली विधि व संयत्रों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा.
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लैन्टाना उन्मूलन की कार्यवाही में अन्य घास व वृक्ष प्रजातियों तथा वन्य जीवों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे. लैन्टाना उन्मूलन करने वाले ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा समुचित मार्गदर्शन/प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.
3. वन विभाग द्वारा सम्बन्धित फर्म व लैन्टाना उन्मूलन हेतु कार्य करने वाले लोगों को भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के सम्बन्ध में समुचित जानकारी दी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में उक्त अधिनियमों के किन्हीं प्राविधानों का उल्लंघन न हो.
4. फर्म द्वारा लैन्टाना उन्मूलन कार्य में स्थानीय निवासियों को रोजगार दिया जायेगा तथा जिन क्षेत्रों/गाँवों में ईको-विकास समितियाँ बनी हों वहाँ पर ईको-विकास समितियों के माध्यम से लैन्टाना उन्मूलन का कार्य कराया जायेगा. सम्बन्धित फर्म इस हेतु ईको-विकास समितियों के साथ एम0ओ0यू0/अनुबन्ध भी कर सकती है.

..2

5. लैन्टाना कटान/उखाड़ने के पश्चात् सम्बन्धित क्षेत्र में उपयुक्त वनस्पति प्रजातियों का तुरन्त रोपण/बीज बुवाई की व्यवस्था की जाये ताकि भू-क्षरण रोकने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों की चारा, ईंधन आदि आवश्यकताओं की सम्पूर्ति भी हो सके.

6. लैन्टाना की निकासी 'टोकन' रॉयल्टी के आधार पर की जाये. लैन्टाना से उत्पादित चारकोल आदि पदार्थों की निकासी हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये.

भवदीय

(किशन नाद)
अपर सचिव

संख्या-3278(1)/X-2-2006तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तरांचल.
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, शिविर कार्यालय-देहरादून.
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल.
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून.
7. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल.
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून को इंटरनेट पर प्रसारण हेतु.

(श्याम सिंह)
अनु सचिव